प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा और माननीय श्री राधे श्याम शर्मा न्यायाधीशगण

रिट अपील क्रमांक 302/2007

अपीलार्थी; डॉ.जी.एस.खत्री

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

निर्णय

विचारणार्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा,

न्यायाधीश

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा न्यायाधीश

सही/-

आर.एस.शर्मा,

न्यायाधीश

आदेश हेतु दिनांक 17/01/2012 को सूचीबद्ध करे

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा,

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा और माननीय श्री राधे श्याम शर्मा न्यायाधीशगण

रिट अपील क्रमांक 302/2007

अपीलार्थी श्री बी.एस. खत्री के पिता डॉ. जी.एस. खत्री, 60 वर्ष, निवासी सी-75, गायत्री नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।

बनाम

उत्तरवादीगण: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, पशु चिकित्सा विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा

2 उप सचिव, पशु चिकित्सा विभाग मंत्रालय डीकेएस भवन, रायपुर छत्तीसगढ़

3. संचालक पशु चिकित्सा सेवा निदेशक, रायपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (युगलपीठ को अपील अंतर्गत) अधिनियम, 2006 की धारा 2 (1) के तहत सहपठित, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2005 के नियम 157 (10) के साथ पठित।

उपस्थिति: श्री अमृतो दास, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

श्री ए.एस. कछवाहा, उप महाधिवक्ता, राज्य/ उत्तरवादियों की ओर से।

निर्णय(17.01.2012)

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा उद्घोषित किया गया।

<u>सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश</u>

(1) यह अपील दिनांक 29 अगस्त, 2006 को रिट याचिका (एस.) संख्या 1778 ऑफ 2005 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश द्वारा अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के विरुद्ध दायर रिट याचिका को रिट न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

(2) अपीलकर्ता को दिनांक 6.5.1972 को पशु चिकित्सा सहायक सर्जन के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद, लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 23.5.1978 के आदेश द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर उनकी सेवाओं को नियमित किया गया। राज्य सरकार ने दिनांक 2 जनवरी, 1999 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया, जिसे रिट न्यायालय में चुनौती दी गई। रिट न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता ने केवल यही तर्क दिया कि उन्हें न तो कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लेने से पहले कोई जांच की गई। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के उपरोक्त आधार के अलावा, कोई अन्य आधार नहीं उठाया गया। रिट न्यायालय ने **<u>बैकुंठ नाथ दास और अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपाड़ा और अन्य</u>** के निर्णय सहित विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि आवश्यक राय नहीं बनाई गई थी या निर्णय अन्य आधारों/सबूतों के अभाव पर आधारित था या निर्णय मनमाना था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि आदेश सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर पारित किया जाता है, तो उच्च न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में सरकार/नियोक्ता के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि जब दुर्भावना या मनमानी का कोई सबूत न हो या साबित न हो मामले की जांच करते समय रिट न्यायालय को ये सभी बातें नहीं मिलीं, इसलिए रिट याचिका खारिज कर दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमृतो दास ने लगभग वही प्रश्न उठाए जो रिट न्यायालय के समक्ष उठाए गए थे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी विभागों में लापरवाही और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकारी कर्मचारियों के अभिलेख की जांच के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया गया था, इसलिए यह केवल अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मामला नहीं था, बल्कि दंडात्मक था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता को दिनांक 23.5.1978 को सेवा में नियमित किया गया था, इसलिए उन्होंने 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी नहीं की थी और इस प्रकार, उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 (जिसे आगे 'नियम 1976' कहा गया है) के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता था।

(4) इसके विपरीत , राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री ए.एस. कछवाहा ने तर्कों का विरोध किया और रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि अर्हता सेवा का आधार रिट न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था, इसलिए इसे इस अपील में नहीं उठाया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना और रिट याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया।

(6) दिनांक 2.1.1999 के आदेश (अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश) की सामग्री से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आदेश नियम, 1976 के नियम 42 (ख) के तहत पारित किया गया था। नियम 42 (ख) में यह प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी जनहित में किसी सरकारी कर्मचारी को 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद, राज्य सरकार की स्वीकृति से, प्रपत्र 29 में तीन महीने का नोटिस देकर सेवा से सेवानिवृत्त होने के लिए कह सकता है। बशर्ते कि ऐसे शासकीय कर्मचारी को तत्काल सेवानिवृत्त किया जा सकता है और ऐसी सेवानिवृत्ति पर, शासकीय कर्मचारी वह सेवानिवृत्ति से ठीक पहले जिस दर पर वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहा था, उस दर पर नोटिस अवधि के लिए अपने

वेतन और भत्तों के बराबर राशि का दावा करने का हकदार होगा, या जैसा भी मामला हो, उस अवधि के लिए जिसके द्वारा ऐसा नोटिस तीन महीने से कम हो।

(7) सेवानिवृत्ति से संबंधित अभिलेख हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

(8) अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने यह निर्णय लिया था कि जांच समिति की बैठकें नियमित रूप से छह माह के अंतराल पर आयोजित की जाएंगी और यह समिति 55 वर्ष की आयु या 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण होने के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों की जांच करेगी। अतः, पशु चिकित्सा सहायक सर्जनों के मामलों पर 6.11.1998 को हुई जांच समिति की बैठक में विचार किया गया। उक्त समिति के सदस्य सचिव, उप सचिव और पशु चिकित्सा विभाग के प्रभारी निदेशक थे। समिति ने बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर उन सभी अधिकारियों के मामलों की जांच की, जो ऐसे मानदंडों के अंतर्गत समिति के विचार क्षेत्र में आते थे, और फिर अपीलकर्ता सहित दो सहायक पशु चिकित्सा सर्जनों के नाम अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए अनुशंसित किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) निम्नलिखित मानदंड हैं, जिन पर जांच समिति ने सहायक पशु चिकित्सकों के मामलों की जांच की और अपीलकर्ता के मामले में उपरोक्त निर्णय लिया।

अ. ईमानदरी तथा सत्यनिष्ठा संदेह जनक होना (इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक का सम्पर्ण अभिलेख देखा जाकर अनुशंसा की जावे)

ब. शारीरिक क्षमता में कमीं

स. ख्याति एवं कार्यक्षमता का मूल्यांकन संबंधित शासकीय सेवक के सेवाकाल के सम्पर्ण अभिलेखों के आधार पर किया जावें। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रतिकूल अभियुक्ति अथवा ऐसी अभियुक्ति जिसे प्रतिकूल अभियुक्ति की संज्ञा दी जा सकती है, शासकीय

सेवक को संसूचित की गई हो। यदि किसी युक्ति के प्रकरण में उसके विरूद्ध भले ही ऐसा तथ्य न हो, जिसके आधार पर सेवा निवृत्त किया जा सके, किन्तु उस अधिकारी की यदि ऐसी ख्याती हो जिसके कारण शासकीय सेवकों में अनुशासनहीनता ब्याप्त हो अथवा लोक सेवक की दक्षता प्रभावित होती है तो भी जनहित में अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये जाने पर विचार किया जाये ।

जांच समिति की बैठक के कार्यवृत्त से यह स्पष्ट होता है कि यह कोई आकस्मिक निर्णय नहीं था और यह निर्णय नियमों, 1976 के अनुसार विचार क्षेत्र में आने वाले सभी सहायक पशु चिकित्सकों के मामलों पर विचार करने के बाद लिया गया था।

(10) **स्टेट ऑफ गुजरात, अपीलकर्ता बनाम उमेदभाई एम. पटेल प्रतिवादी, एआईआर 2001 एससी 1109** में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया की अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित विधि को निश्चित सिद्धांतों में ढाला गया है और इसे मोटे तौर पर निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) जब किसी लोक सेवक की सेवाएँ सामान्य प्रशासन के लिए उपयोगी नहीं रह जातीं, तो उस अधिकारी को जनहित के लिए अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

(ii) सामान्यतः, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत दंड नहीं माना जाएगा।

(iii) बेहतर प्रशासन के लिए, निकम्मे अधिकारियों को हटाना आवश्यक नहीं है, बल्कि अधिकारी के संपूर्ण सेवा अभिलेख पर उचित विचार करने के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया जा सकता है।

(iv) गोपनीय अभिलेख में की गई किसी भी प्रतिकूल प्रविष्टि को ध्यान में रखा जाएगा और ऐसे आदेश पारित करते समय उसे उचित महत्व दिया जाएगा।

(v) गोपनीय अभिलेख में दर्ज अप्रकाशित प्रविष्टियों को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

(vi) विभागीय जांच से बचने के लिए लघुरिती के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित नहीं किया जाएगा, जबकि ऐसा करना अधिक वांछनीय हो।

(vii) यदि गोपनीय अभिलेख में प्रतिकूल प्रविष्टियाँ होने के बावजूद अधिकारी को पदोन्नति दी जाती है, तो यह अधिकारी के पक्ष में एक तथ्य है।

(viii) दंडात्मक उपाय के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति लागू नहीं की जाएगी।

(11) इस मामले में, यदि सरकार की विधिवत अधिकृत समिति द्वारा सभी सहायक पशु चिकित्सकों के मामलों की सामान्य रूप से जांच करने के बाद कोई निर्णय लिया गया है, तो जब तक कि कोई ऐसी खामी न बताई जाए जिससे वह अवैध या मनमानी साबित हो, तब तक उपरोक्त निर्णय को सही माना जाना चाहिए। समिति ने संबंधित कर्मचारियों के संपूर्ण सेवा अभिलेखों पर विचार किया है और उसके बाद ही उसने अपीलकर्ता सहित दो सहायक पशु चिकित्सकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की है। अपीलकर्ता ने अपनी याचिका में जांच समिति द्वारा की गई कार्रवाई में किसी भी प्रकार की खामी का उल्लेख नहीं किया है। उसने अनिवार्य सेवानिवृत्ति को सामान्य रूप से चुनौती दी है। अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका में निर्णय का खंडन करने के लिए कोई विशिष्ट उदाहरण आधार के रूप में नहीं लिया गया है। यहां तक कि अपीलकर्ता द्वारा कोई भी ऐसी सामग्री अभिलेख पर नहीं रखी गई है जिससे विकृति प्रदर्शित हो, साक्ष्य का अभाव साबित हो, या उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णय में दुर्भावना या मनमानी साबित हो। रिट न्यायालय ने सही ही माना है कि ऐसे मामलों में, अर्थात्... नियम 42 (ख) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की कोई भूमिका नहीं होती है। इसलिए, रिट न्यायालय ने माना कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश विकृत या अवैध नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमृतो दास ने आगे तर्क दिया है कि अपीलकर्ता ने 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी नहीं की है, क्योंकि नियम 42 (ख) के प्रयोजन के लिए उनकी सेवा अवधि उनकी नियमितीकरण तिथि से गिनी जाएगी, न कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से। हमने

उपरोक्त तर्क पर विचार किया गया। नियमों में ही नियम 3 (पी) के अंतर्गत परिभाषित "अहर्क सेवा" से तात्पर्य राज्य सरकार के अधीन पेंशन योग्य सेवा में शामिल होने की तिथि और उससे सेवानिवृत्ति के बीच की अवधि से है, जिसे इन नियमों के तहत देय पेंशन और उपदान

के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा और इसमें वह अवधि भी शामिल है जो उस समय लागू किसी अन्य आदेश या नियम के तहत अर्हता प्राप्त करती है। यद्यपि इस आधार को रिट न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था, परन्तु इसे मूल आवेदन में उठाया गया था, जिसे रिट याचिका के रूप में पंजीकृत किया गया था और इस संबंध में सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रतिवेदन दाखिल किया गया था। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता की नियुक्ति प्रारंभ में दिनांक 6.5.1972 को हुई थी और 1972 से उसके द्वारा प्रदत्त सेवा पेंशन के प्रयोजन के लिए अर्हता सेवा थी, यद्यपि अपीलकर्ता की वरिष्ठता निर्धारित करते समय इसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। अर्हता सेवा की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि अर्हता सेवा, वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखी जाने वाली सेवा से भिन्न है। इस मामले में, जैसा कि राज्य ने सही तर्क दिया है, अपीलकर्ता को लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने और दिनांक 23.5.1978 के आदेश द्वारा पशु चिकित्सा सहायक सर्जन के रूप में नियमित किए जाने के बावजूद, लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमितीकरण की तिथि से पशु चिकित्सा सहायक सर्जन के रूप में वरिष्ठता प्राप्त होगी। लेकिन सेवा में निरंतरता होने के कारण, पेंशन आदि के लिए अर्हता सेवा उनके द्वारा नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि, अर्थात् दिनांक 6.5.1972 से दी गई सेवा होगी। नियमों के खंड 3 (पी) की परिभाषा के अनुसार, महत्वपूर्ण तिथि राज्य सरकार के अधीन पेंशन योग्य सेवा में शामिल होने की तिथि होगी, न कि नियमितीकरण की तिथि, क्योंकि उपरोक्त खंड में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। हमारा मानना है कि सरकार ने अपीलकर्ता की अर्हता सेवा अवधि की गणना पशु चिकित्सा विभाग में उनके पहले दिन से सही ढंग से की है, इसलिए उक्त तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) उपरोक्त कारणों से, हमें इस अपील में कोई सार नहीं मिलता। अतः, अपील खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(14) लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है ।

सही/- सही/-

सुनील कुमार सिन्हा, आर.एस.शर्मा,

न्यायाधीश न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अस्वीकरण:</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By- YOGITA NAIK Advocate